पत्रावली आज लोक कोर्ट अदालत में पेश हुई। प्रकरण से संबंधित वाद पत्र में विधिवत विभाजन हेतु प्रारंभिक डिक्री पारित हो चुकी है तथा प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव आया है। लेकिन विभाजन प्रस्ताव के अनुरूप अंतिम डिक्री पारित होने तक कार्यवाही निषेधाज्ञा आदेश प्रभावी रहेगा ताकि पक्षकारों के मध्य अनावश्यक विवाद व मुकदमेबाजी नहीं बढ़े।

पत्रावली नियमानुसार होकर कम्प्यूटर में दर्ज हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी